पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 740

==========

देवेन्द्र प्रसाद साह, पुत्र- स्वर्गीय गुलाब चन्द्र साह, ग्राम निवासी-मोहनचक रतनपुर उर्फ चक शिकेन्द्र सैद्यादपुर, वार्ड नंबर 22, थाना-बेगुसराय नगर, जिला- बेगुसराय।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सत्य नारायण प्रकाश साहू, पुत्र- स्व. अयोध्या प्रसाद साहू, निवासी मुहल्ला-मैनचक, छोटी रोड परगना मलकी सब-डिवीजन, सब रजिस्ट्री, बेगुसराय।

2. हिमांशु शेखर, पुत्र- स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद साहू, निवासी- मुहल्ला मेनचक, छोटी रोड परगना मलकी सब-डिवीजन, सब-रजिस्ट्री, बेगुसराय।

4. श्रीमती मंजू देवी, पत्नी- रतन साह, निवासी- मोहल्ला मैनचक, चट्टी रोड परगना मलकी सब-डिवीजन, सब-रजिस्ट्री-बेगूसराय, जिला बेगुसराय।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुरेश कुमार ईश्वर, अधिवक्ता

प्रतिवादि/यों के लिए : श्री बिनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्रीमती वागीशा प्रज्ञा वाककनवी, अधिवक्ता

सुश्री अमृता रॉय, अधिवक्ता

==========

भारतीय संविधान---अनुच्छेद 227---सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---आदेश 1 नियम 10---आवश्यक पक्ष का अभियोग---एक स्वामित्व वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के लिए याचिका जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है---तर्क यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता के पास वाद की संपत्ति में निहित अधिकार है और इस तरह, वह स्वामित्व वाद में आवश्यक पक्ष है---प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया कि हस्तक्षेप याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि एक ओर, याचिकाकर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति में

सह-हिस्सेदार होने के नाते वाद की संपत्ति में अपने अधिकारों का दावा कर रहा है और दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 से वाद की संपत्ति खरीदी है, जिन्होंने दावा किया कि यह उनकी अनन्य संपत्ति है---आगे तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले से ही खरीदार होने के आधार पर मामले में उपस्थित हो रही थी बहरहाल, काफी समय बीत जाने के बाद आवेदन प्रस्तुत करने का याचिकाकर्ता का कृत्य मामले को लटकाने तथा वादी/प्रतिवादी संख्या 4 के मामले को विफल करने की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है।

निर्णय: जब याचिकाकर्ता की पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 1 से संपत्ति खरीदी, जिसने दावा किया कि यह उसकी अनन्य संपत्ति है जिसे उसने पहले प्रतिवादी संख्या 4 को बेचा था, तो याचिकाकर्ता द्वारा एक अलग दलील लेना और अनभिज्ञता का बहाना करना समझ से परे है--- यदि वाद की संपत्तियां पैतृक थीं, तो याचिकाकर्ता की पत्नी के लिए प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 से उन्हें खरीदने का कोई अवसर नहीं था--- याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के वाद की संपत्ति पर अनन्य अधिकार को स्वीकार करने के माध्यम से विरोधाभासी दावे का मुद्दा है--- याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया है कि उसकी उपस्थिति न्यायालय को मुद्दे पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय देने और वाद में शामिल प्रश्नों को निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है--- वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में जो मांग कर रहा था वह वाद की संपत्ति के संबंध में अधिकार, शीर्षक और हित की घोषणा के लिए एक वाद में विभाजन है और कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में वादी/प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ किसी भी राहत का अधिकार नहीं है--- हस्तक्षेपकर्ता की याचिका सही ढंग से खारिज कर दी गई - विवादित आदेश की पुष्टि की गई। ***(पैरा 1, 3-5)***

(2005) 6 एससीसी 733 ***.....पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 26-07-2024

वर्तमान याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान उप-न्यायाधीश-III, बेगूसराय द्वारा शीर्षक वाद संख्या 286/2008 में पारित दिनांक 14.12.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्य राहत के अलावा याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने प्रतिवादी संख्या 4 के साथ एक भूमि की बिक्री के लिए एक समझौता किया और उस समझौते के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 29.09.2018 को एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को एक सप्ताह के भीतर प्रतिफल राशि के भुगतान की शर्त पर पंजीकरण रसीद सौंपी जानी थी। चूंकि कई मांगों के बावजूद और कानूनी नोटिस की तामील के बाद भी समझौते के अनुसार और 15.10.2008 तक भी भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने 29.08.2018 को बिक्री विलेख को रद्द कर दिया और 08.11.2008 को रद्दीकरण विलेख निष्पादित किया, जिसे उप-पंजीयक, बेगूसराय द्वारा स्वीकार किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को पैसे की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए याचिकाकर्ता से संपर्क किया और मामला अंतिम रूप से तय हो गया। याचिकाकर्ता की पत्नी, अर्थात् वीना देवी, निष्कासित प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की मुकदमे वाली जमीन और मकान को 15.11.2008 को पूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान करके बिक्री विलेख संख्या 22314 और 789435 दिनांक 15.11.2008 के माध्यम से खरीद लिया। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से संपत्ति खरीदने के बाद, पूर्ण कब्जा वीना देवी को सौंप दिया गया, जो जमीन और घर के शांतिपूर्ण कब्जे में आ गईं। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 ने टाइटल सूट संख्या 286/2008 दायर कर मौजा-मियांचक रतनपुर, वार्ड संख्या 17, परगना-मलकी, अनुमंडल-बेगूसराय, अंचल और

जिला-बेगूसराय में स्थित 12 धूर क्षेत्रफल वाले तौजी संख्या 4012, थाना संख्या 389, खाता संख्या 275, खेसरा संख्या 790 की भूमि के संबंध में टाइटल की घोषणा और कब्जे की सुपुर्दगी की मांग की, जैसा कि शिकायत की अनुसूची-1 में वर्णित है। दावा किया गया है कि खेसरा संख्या 790 पैतृक संपत्ति है और दर्शन साहू, धनीचंद साहू और रंजीत साहू के नाम कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज हैं और दर्ज किरायेदारों की सभी संपत्तियां अभी भी मौजूद हैं। यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2, जो मुकदमे में प्रतिवादी हैं, समान पूर्वज रंजीत साहू के वंशज हैं, जिनकी मृत्यु उनके उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों धुनमन कुमारी और उनके दो बेटों बृज लाल साहू और रीत लाल साहू के लिए अपना हक और हित छोड़कर हुई थी। याचिकाकर्ता बृज लाल साहू का वंशज है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 रीत लाल साहू के वंशज हैं। मुकदमे की जमीन उत्तराधिकार और उत्तरजीविता के माध्यम से बृज लाल साहू और रीत लाल साहू के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के कब्जे में आई। चूंकि खेसरा संख्या 790 का कुल क्षेत्रफल 6 कट्ठा और 9 धूर था, इसलिए दोनों शाखाओं को पुराने भवन के साथ आधा-आधा हिस्सा मिला। वादी/प्रतिवादी संख्या 4 ने खेसरा संख्या 790 के 12 धूर क्षेत्र पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया है, हालांकि, यह दावा किया गया है कि यह कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 और 2/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को आवंटित नहीं किया गया था और भूमि के उक्त क्षेत्र पर उनका कोई स्वामित्व और हित नहीं है। यह भी प्रतीत होता है कि हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता 2 कट्ठा से अधिक क्षेत्र पर स्वामित्व और कब्जे का दावा करता है, जो खेसरा संख्या 790 का हिस्सा है, साथ ही उसके पूर्वज की खरीदी गई जमीन में हिस्सा भी है। इससे पहले, निष्कासित प्रतिवादी संख्या 3 वीणा देवी ने शीर्षक वाद संख्या 286/2008 में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में उन्हें जोड़ने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी और विद्वान अवर न्यायाधीश-VI, बेगूसराय द्वारा 06.04.2013 को 2500/- रुपये की लागत के भुगतान की शर्त पर उनकी हस्तक्षेप याचिका को अनुमति दी गई थी। उक्त वीणा देवी ने 2500/- रुपये की लागत माफ करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उनके आवेदन को विद्वान अवर न्यायाधीश-VI, बेगूसराय द्वारा दिनांक 22.11.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध उक्त वीणा देवी ने सी.डब्लू.जे.सी संख्या 10977/2014 दायर की, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2016 के आदेश के तहत सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया

गया। उक्त वीणा देवी ने दिनांक 06.04.2013 के आदेश के अनुसार 2500/- रूपये की लागत राशि जमा नहीं की। याचिकाकर्ता को जब पता चला कि मंजू देवी द्वारा खेसरा संख्या 790 की भूमि के संबंध में भूमि की घोषणा एवं कब्जा दिलाने के लिए टाइटल सूट दायर किया गया है, तो उसने उक्त टाइटल सूट में उसे प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की। विद्वान उप न्यायाधीश-III, बेगूसराय ने याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका पर दिनांक 14.12.2008 के आदेश के तहत सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया, जिसे वर्तमान सिविल विविध याचिका में चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान अवर न्यायाधीश-III, बेगूसराय द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है तथा तथ्यों के आधार पर गलत है। यह आदेश अवैधानिक तथा मनमाना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किए बिना पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के पास निहित अधिकार है, क्योंकि वह खेसरा संख्या 790 का किरायेदार तथा आधा हिस्सेदार है, जिसमें 2 कट्ठा से अधिक भूमि का हिस्सा है तथा खेसरा संख्या 790 की भूमि तथा भवन पर उसका शांतिपूर्ण कब्जा है, तथा इस प्रकार वह टाइटल सूट संख्या 286/2008 में आवश्यक पक्षकार है। विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर भी विचार करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पूर्वज के सह-हिस्सेदार बृजलाल साह का वंशज है, तथा इस प्रकार याचिकाकर्ता के पास खेसरा संख्या 790 के 2 कट्ठा से अधिक भूमि के भाग पर अधिकार, स्वामित्व तथा कब्जा है। याचिकाकर्ता ने बेगूसराय के विद्वान मुंसिफ की अदालत में टाइटल सूट नंबर 51/2004 भी दायर किया है, जिसमें टाइटल की घोषणा और कब्जे की डिलीवरी की मांग की गई है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी प्रतिवादी नंबर 1 और 2 से उक्त भूमि की खरीदार है, जो उक्त भूमि के वास्तविक मालिक हैं। इस प्रकार, विद्वान वकील ने कहा कि विवादित आदेश संधारणीय नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरोपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने विरोधाभासी स्थिति अपनाई है। एक ओर,

याचिकाकर्ता रंजीत साहू का वंशज होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ सह-हिस्सेदार होने के नाते अपने अधिकारों का दावा कर रहा है, तथा दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की पत्नी वीणा देवी ने प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 सत्य नारायण प्रकाश साहू से मुकदमे की संपत्ति खरीदी है। यदि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति होती तथा याचिकाकर्ता के पास सह-हिस्सेदार होने के नाते अधिकार होते, तो याचिकाकर्ता की पत्नी के लिए प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 से वही संपत्ति खरीदने का कोई अवसर नहीं था, जिन्होंने दावा किया कि यह उनकी एकमात्र संपत्ति है। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने वीणा देवी के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया, जिन्हें पक्षकार बनाया गया था, लेकिन बाद में, उनके खिलाफ *एकपक्षीय* कार्यवाही की गई। इस *एकपक्षीय* सुनवाई को लागत के भुगतान के अधीन वापस बुलाया गया था, लेकिन उसने लागत का भुगतान नहीं किया। वाद की संपत्ति कभी भी याचिकाकर्ता देवेंद्र साहू के हिस्से में नहीं आई, बल्कि उसने अपनी पत्नी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करके सत्य नारायण साहू के अधिकार, शीर्षक और हित को स्वीकार कर लिया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वीना देवी को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में वर्तमान याचिका में पक्ष बनाया गया था और उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम हटा दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी हस्तक्षेप याचिका को अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई हित लाने में विफल रहा है। यदि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले से ही रिकॉर्ड पर आ चुकी है, तो याचिकाकर्ता उसकी मृत्यु के बाद उसके स्थान पर प्रतिस्थापन का दावा कर सकता है, लेकिन इस मामले में इस न्यायालय के आदेश से ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने उत्तराधिकार के आधार पर वाद की संपत्ति में अपने अधिकार, शीर्षक और हित की विरोधाभासी दलील देते हुए खुद अपनी पत्नी को वर्तमान याचिका में पक्ष प्रतिवादी बनाया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा मुकदमे की भूमि की खरीद और अपनी पत्नी को उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने के तथ्य को छिपाया है। मुकदमे के बारे में न जानने या न जानने के बारे में याचिकाकर्ता का दावा हास्यास्पद है। यदि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले से ही लंबित खरीदार होने के आधार पर मामले में पेश हो रही थी, तो याचिकाकर्ता द्वारा काफी समय बीत जाने के बाद आवेदन दायर करना मामले को लटकाने और वादी/प्रतिवादी संख्या 4 के मामले को

विफल करने की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए रुख में कुछ योग्यता नज़र आती है। एक बार जब याचिकाकर्ता की पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 1 से संपत्ति खरीदी, जिसने दावा किया कि यह उसकी अनन्य संपत्ति है जिसे उसने पहले प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दिया था, तो याचिकाकर्ता द्वारा एक अलग दलील देना और अज्ञानता का बहाना करना समझ से परे है। अगर याचिकाकर्ता का हमेशा से यह मामला रहा है कि मुकदमे की संपत्ति पैतृक है और सहदायिक होने के नाते उसका उस पर अधिकार है, तो याचिकाकर्ता को पहले ही मामले में खुद को पक्षकार बना लेना चाहिए था। अब, याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ किए गए उस लेन-देन से इनकार कर दिया है जिसके तहत उसने प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 से मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कुछ संपत्ति खरीदी थी। याचिकाकर्ता की याचिका से यह भी पता चलता है कि वीणा देवी ने पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी और उसकी हस्तक्षेप याचिका को लागत के भुगतान की शर्त पर अनुमति दी गई थी और लागत की माफी की उसकी दलील को विद्वान परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इस अस्वीकृति आदेश की पुष्टि इस न्यायालय ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10977/2011 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 के माध्यम से की थी। यदि मुकदमे की संपत्तियां पैतृक थीं, तो याचिकाकर्ता की पत्नी के लिए प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 से उन्हें खरीदने का कोई अवसर नहीं था। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता ने विद्वान मुंसिफ, बेगूसराय की अदालत में शीर्षक वाद संख्या 51/2004 भी दायर किया इसके अलावा, वादी/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ कुछ बिक्री विलेख के तहत अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर किया गया है। उसने याचिकाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह परस्पर पक्षकार होगा और याचिकाकर्ता को बाध्य नहीं करेगा, जिसने अपने स्वयं के प्रस्तुतीकरण के अनुसार पहले ही शीर्षक मुकदमा दायर कर दिया है। फिर, उसकी पत्नी के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार की विशिष्टता को स्वीकार करने के माध्यम से विरोधाभासी दावे का मुद्दा है। यदि

सभी चीजों को एक साथ लिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि अदालत को मुद्दे पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से न्याय करने और मुकदमे में शामिल प्रश्नों को निपटाने में सक्षम बनाने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा, वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में जो मांग कर रहा था, वह मुकदमे की संपत्ति के संबंध में अधिकार, शीर्षक और हित की घोषणा के लिए एक मुकदमे में विभाजन है।

6. ***कस्तूरी बनाम अय्यम्परुमल एवं अन्य के मामले में (2005) 6 एससीसी 733*** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आवश्यक पक्ष वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए और उचित पक्ष वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि न्यायालय प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सके और उनका निपटारा कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में वादी/प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ किसी भी राहत का अधिकार नहीं है।

7. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को टाइटल सूट संख्या 286/2008 में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसका समाधान कहीं और है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 14.12.2018 के आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. तदनुसार, तत्काल याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पाण्डेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।